

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

न्यायाधीश- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 185/22 प्रा0पत्र

श्री कमलेश शंकर उदयलाल खत्रीक निवासी- लुहारिया तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री मन्कु देवी शंकर बतना गील निवासी- नयाखेड़ा-चांगेड तहसील-माण्डल
श्री शंकर लाल शंकर गोपी इरोगा निवासी- चांगेड तहसील-माण्डल
श्री गीता देवी शंकर शंकरलाल इरोगा निवासी- चांगेड तहसील-माण्डल
श्री कल्याण शंकर नाथ इरोगा निवासी- चांगेड तहसील-माण्डल
श्री प्रमोदलाल शंकर नाथ इरोगा निवासी- चांगेड तहसील-माण्डल
तन्नाथ्य धरिए तहसीलदार सांभल तहसील-माण्डल -विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक :- 10.01.23

पत्र से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
ग्राम-चांगेड.....पटवार हल्का-चांगेड.....तहसील माण्डल में उसके
खाते की आराजी नं. 1902/760 कुल किता 01 रकबा 1.0117
त हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये
संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
आदेश प्रदान कराये जावें।

पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी कराने का
वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम-चांगेड.....पटवार
.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1902/760
01.....रकबा 1.0117 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
तु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
लेखा.....को 500/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने
की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार
गद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल शिखरडीलवाड़ा



हसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल शिखरडीलवाड़ा

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कमलेश बनाम श्रीमती गजुडेकी (कौश)

किस्म मुकदमा प्रा-पत्र 111-12-22 नं० 18.5 सन 2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए
--------	----------------------------------	------------------------------------------------------

9-12-22	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 16-12-22 को पेश हो ।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
16/12/22	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त अधिकार रखने से पत्रावली दिनांक 27/12/22 को पेश हो ।</p> <p>अप्रील 5 की कोर्ट ले अधिभाषक पेश 22</p>	
25/12	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त अधिकार रखने से पत्रावली दिनांक 27/12/22 को पेश हो ।</p>	
7-12-22	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य समाप्त अधिकार रखने से पत्रावली दिनांक 10/12/22 को पेश हो ।</p>	
1-23	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी सं. 5 के अधिवक्ता अनुपस्थित । अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 को कितनी बार क्रम-क्रम कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं । वकील के पिकरु एक तरफा पत्रावली खिये जाने का आदेश दिया जाता है । वकील प्रार्थी को पकड़ करनी चाही । वकील प्रार्थी की बटल सुनी गयी । वकील प्रार्थी का प्राणपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपक से प्रिया जाकर शांति प्रिया गया । पत्रावली फंसल शुमार होकर नक्कर से कम हो ।</p>	

उपखण्ड अधिकारी